31/01/25 - पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 09 नियम 03 जाब्ता
दीवानी में खारिज किया जा चुका है। इसलिए
अब TC प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं
रह जाता है। इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र O9 R 03
जाब्ता दीवानी के तहत खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर। दर्ज रजिस्टर से
कम होकर। दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी
सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.02.05 15:23:45 IST
Reason: SelfAttested